

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय,

महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर  
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. 1597 /एफ-7-59/31/एस-2/2020,  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 25/03/2021

मुख्य अभियंता,  
हसदेव कचार,  
जल संसाधन विभाग,  
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- बिलासपुर जिले के विकासखण्ड तखतपुर की टिहुलाडीह एनीकट योजना की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-152/बो.प्र./AA/त.क./ह.क./2020/7758, रायपुर, दि. 27.08.2020.

--00--

राज्य शासन एतद द्वारा बिलासपुर जिले के विकासखण्ड तखतपुर की टिहुलाडीह एनीकट योजना हेतु लागत राशि रु. 298.92 लाख (रुपये दो करोड़ अन्धानबे लाख ब्यानबे हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

- D.M.  
12/3/21
2. योजना से पेयजल एवं निस्तारी उपयोग, भू-जल संवर्धन तथा आवागमन के साथ ही 180 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों के द्वारा स्वयं के साधन से लिफ्ट द्वारा सिंचाई प्रस्तावित है।
  3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
  4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
  5. योजना पर व्यय बजट माँग संख्या-45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {102} भू-तल जल, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य), 5059-एनीकट/स्टॉपडेम का निर्माण, #26-वृहद निर्माण कार्य, 005 बौध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
  6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 10.03.2020 द्वारा सहमति प्राप्त है।
  7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
  8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
  9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

कार्य नं. अ.
हसदेव क्षेत्र के संसाधन विभाग बिलासपुर (छ.ग.)
आ.क्र. 871
दिनांक 25-3-2021
दाता W
प्रमाणित
म.अ. चां.प्र.अ. व.नि.रा.

25/03/2021  
(प्रेम सिंह घरेन्द्र)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
क्र. 152 जल संसाधन विभाग

पृष्ठ 1598 / एफ-7-59 / 31 / एस-2 / 2020,

अटल नगर, दिनांक 25/03/2021

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 4 अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 5 सचिव, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट; बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 8 कलेक्टर, जिला-बिलासपुर। (छ.ग.)।
- 9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
- 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
- 11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
- 12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
- 13 अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)।
- 14 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा, जिला-बिलासपुर।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 15 आदेश फोल्डर।

25/03/2021  
अवैद सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग  
झारखण्ड